



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-1268 / 12-1

दिनांक, चकराता

20 सितम्बर 2024

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहिया।

डायरी सं०... 2163

पत्रांक सं०... 646

दिनांक... 23/9/2024

विषय-

जनपद देहरादून में ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का निर्माण (2.2715 है०) की वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग सहिया को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में एन०पी०वी० की नयी दरों से जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि का मांग पत्र।

संदर्भ :-

आपके कार्यालय की पत्र संख्या-1488/6सी दिनांक 03.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्षों से अधिक का समय व्यतित हो गया है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं०-5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि नई दरों से जमा करने हेतु डिमांड नोट निम्न है।

चकराता वन प्रभाग चकराता							
प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (है०मे)	ईको क्लास श्रेणी	हरिया ली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (है०मे)	भारत सरकार के आदेश सं०-5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.22 के अनुसार	जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि (रु०मे)
FP/UK/ROAD /11435/2015	2.2715	5	0.1	NPV	2.2715	1005210.00	2283335.00
						पूर्व में जमा धनराशि	1492047.00
						अवशेष धनराशि	791288.00

कुल योग- सात लाख इक्यानवे हजार दो सौ अट्ठासी रुपये मात्र।

अतः आप उक्त डिमांड नोट में एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि कैम्पा में जमा कर चालान की प्रमाणित 03 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

भवदीय,

(अभियन्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 1268 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

NEW 4249

(अभियन्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चकराता वन प्रभाग, चकराता।